न्यायालय नायब तहसीलदार बयाना (भरतपुर)

प्र0स0 106/19 ता0रजु. 19.11.19 किस्म मुकदमा 91 एलआर एक्ट निर्णय दिनांक 15.01...

सरकार

बनाम

रामखिलाडी, सिरमौहर, पूजन, गिर्राज, जाति गूजर नि० कपूरा म...

पत्रावली आज पेश हुई। पटवारी हल्का कपूरा मलूका ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की है। कि ग्राम कपूरा मलूका के खसरा नम्बर 1307 रकबा ~~0.04~~ 1.51 हैक्ट. किस्म भूमि रास्ता पर सम्वत 2076 में श्री रामखिलाडी, सिरमौहर पूजन गिर्राज तह0 बयाना ने 0.04 हैक्ट. अतिक्रमण कर लिया है।

हल्का पटवारी रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण 91 एलआरएक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। जो नोटिस के सन्दर्भ में गैर सायल द्वारा उपस्थित होकर जवाब पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। गैर सायल द्वारा उपने जवाब में स्वंय का अतिक्रमण नहीं होना अंकित करते हुये पुनः जांच कराने का प्रार्थना की है। प्रकरण मे भू.अ.निरी. से पुनः जांच कराई गई। भू.अ.निरी. द्वारा अपनी पुनः जांच रिपोर्ट दिनांक 13.01.2020 में अतिक्रमी का अतिक्रमण होना अंकित किया गया। गैरसायल द्वारा प्रस्तुत जवाब भू.अ.निरी. की जांच रिपोर्ट एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपरान्त इस निष्कर्ष पर पंहुचता है। कि अप्रार्थी के विरूद्व न्यायिक कार्यवाही अमल में लायी जाना आवश्यक है। अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से बेदराल करना राज्यहित में आवश्यक है।

अतः आदेश है कि अतिक्रमी के विरूद्व न्यायिक कार्यवाही कर अतिक्रमित खसरा नम्बर 1307 रकबा 0.04 हैक्ट. वाके ग्राम .... से बेदखल किया जा... लगान 0.16 का 50 गुणा पैनल्टी राशि .... रुपये से दण्डित किया जाता है। पैनल्टी की कायमी टी.आर.ए. हाजा से कराई जावे। पैनल्टी वसूली ... को ... कर्ज नीलामी/ कब्जा/ बेदखली बाबत हल्का पटवारी/ गिरदावर को आदेश जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार हो। दाल तकमील नम्बर से नाम हो। दाखिल दफ्तर हो। निर्णय ... को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार